कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

संशोधित विज्ञप्ति

संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये पूर्व निर्गत विज्ञप्ति संख्या–01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक 08 अक्टूबर, 2015 को, शासनादेश संख्या– 1582/XVIII(1)/2015–03(3)/2014 T.C-1, दिनॉक 09 नवम्बर 2015 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. शासनादेश दिनांक 09.11.2015 द्वारा रिक्त पदों की गणना आगामी 02 वर्षों अर्थात् 30 सितम्बर, 2017 तक होने वाली सम्भावित रिक्तियों के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, फलस्वरूप जनपद की संशोधित रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है –

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
06	01	05	19

2. उपरोक्त रिक्तियों के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा–– 02 पद अनुसूचित जाति (महिला), 02 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), 06 पद अनारक्षित (महिला), 01 पद अनारक्षित (भूतपूर्व सैनिक),

3. राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 30.11.2015 तक बढ़ाया जाता है, जिसके फलस्परूप परीक्षा की संशोधित समय–सारिणी निम्नवत् पुनः निर्धारित की जाती है–

(I)	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि–	30.11.2015
(II)	शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र जारी करने की अंतिम तिथि–	31.12.2015
(III)	शारीरिक दक्षता परीक्षण–	15.01.2016 से 25.01.2016
(IV)	लिखित परीक्षा की तिथि–	20.03.2016 (रविवार)
(V)	उत्तर कुंजी का प्रकाशन–	25.03.2016 से 31.03.2016
(VI)	आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि–	01.04.2016 से 15.04.2016
(VII)	आपत्तियों के निस्तारण की तिथि–	30.04.2016
(VIII)	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि–	30.06.2016
(IX)	स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन–	15.07.2016
(X)	प्रशिक्षण हेतु पत्र निर्गत करने की अंतिम तिथि–	31.07.2016
(XI)	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि–	01.09.2016

4. राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किमी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किमी0 दौड़ना आवश्यक है।

5. सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अभ्यर्थी, निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र को प्रेषित कर सकते हैं।

6. आवदेन पत्र के साथ स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न कर सकते हैं, किन्तु शारीरिक दक्षता की तिथि को मूल प्रमाण पत्रों की प्रतियां समिति को अवलोकित करायी जानी होंगी।

7. आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि की गणना हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा अंकतालिका तथा अनिवार्य अर्हता हेतु स्नातक की अंकतालिका अथवा उपाधि अथवा प्रोविजनल डिग्री की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र की सन्निरीक्षा किया जाना सम्भव नहीं है।

8. राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, अपितु जिला सैनिक कल्याण परिषद में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व पंजीकरण तथा अभिलेख मान्य होंगे ।

9. पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक मानकों में छूट के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा प्रदत निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा,

10. पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस जनपद से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के लिये आवदेन प्रेषित किये गये हैं, वे अभ्यर्थी यदि उक्त शर्तों के अनुसार अर्हता रखते हों, तो उन्हें पुनः आवदेन करने की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त के अतिरिक्त पूर्व विज्ञप्ति संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक 08 अक्टूबर, 2015 (यथासंशोधित दिनांक 11 अक्टूबर, 2015) के अन्तर्गत दी गयी शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

नोट– उक्त विज्ञप्ति तथा शासनादेश जनपद चम्पावत की वेबसाइट **www.champawat.nic.in** पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी चम्पावत।